

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका
संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि
हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,
निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन
संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय निदेशक साक्षात्
वन प्रभाग द्वारा भेजी
संस्तुति के आधार पर
संस्तुति की जाती है।

दिनांक 24-04-2024

स्थान- अजमेर

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

रेणु सिंह

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर, उ०प्र० राजस्थान